कार्यालय अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर (छ.ग.) –495001

सर्वे संतु निरामयाः

Fax (o) – 07752-224200, Phone (o) – 07752-230030
Website: www.cimsbilaspur.ac.in, email – deancims@gmail.com

क्रमांक / 5794 / अधि. / सिम्स / 2023 बिलासपुर, दिनांक 04/05/2023

: : आदेश : :

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / अधि. / सिम्स / 2022 बिलासपुर, दिनांक 20.12.2022 द्वारा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर में चिकित्सा शिक्षकों / चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति के लिये प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ गुरूवार को आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार (Walk-In-Interview) को अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक के लिये निरस्त किया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र. एफ 13–1 / 2023 / आ.प्र. / 1–3, नवा रायपुर, दिनांक 03.05. 2023 ''विषय :– नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण के संबंध में'' निर्देश जारी किया गया है।

अतः उक्त निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर द्वारा चिकित्सा शिक्षकों / चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति के लिये साक्षात्कार (Walk-In-Interview) हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन अनुसार प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ गुरूवार तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक कार्यदिवस में साक्षात्कार (Walk-In-Interview) आयोजित किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षकों / चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति हेतु अद्यतन विज्ञापन समय–समय पर संस्थान के वेबसाईट www.cimsbilaspur.ac.in में अपलोड किया जावेगा। अतः नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन किया जावे।

अधिष्ठाता 04-05-2023
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर, छ0ग0

कार्यालय अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर (छ.ग.) –495001
Fax (o) – 07752-224200, Phone (o) – 07752-230030
Website: www.cimsbilaspur.ac.in, email – deancims@gmail.com

पृ. क्रमांक. / 5795-97 / अधि. / सिम्स / बिलासपुर / 2023 दिनांक 04/05/2023

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष / सदस्य, चयन समिति एवं स्क्रुटनी समिति की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि साक्षात्कार तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर स्क्रुटनी एवं चयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को संस्थान की वेबसाईट में अपलोड करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता 04-05-2023
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर, छ.ग.

मुँह एवं नाक को हमेशा मॉस्क से ढँके। | नियमित रूप से साबुन एवं पानी से हाथ धोये। | एक मीटर की दूरी हमेशा बनाये रखें।

कार्यालय अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001
FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.ac.in email- deancims@gmail.com

क्र/18462/स्था/प्रशा/सिम्स/2022 बिलासपुर, दिनांक 06/12/2022

Walk-In-Interview

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति स्वशासी के माध्यम से संविदा में किये जाने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय, सिम्स, बिलासपुर में प्रत्येक माह के द्वितीय गुरूवार एवं चतुर्थ गुरूवार तथा अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस (दिसबंर माह में दिनांक 08.12.2022 एवं 22.12.22) को Walk-In-Interview आयोजित किया जाएगा।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

Professor	Associate Professor	Asst. Professor	Senior Resident	Junior Resident
Anatomy – 1 (UR) Physiology – 1 (UR) Biochemisty – 1 (UR) Pathology – 1 (UR) Microbiology – 1 (UR) Forensic Medicine – 1 (UR)	Physiology – 1 (ST) Pharmacology -1 (ST-1) Pathology+Blood Bank- 2 (ST-1, OBC-1) Microbiology-1 (OBC-1) General Medicine – 3 (UR-2, OBC-1) Chest & TB- 1 (ST-1) Psychiatry -1 (ST-1) Pediatric – 2 (ST-1, OBC-1) General Surgery -3 (ST-1, SC-1, OBC-1) Orthopedic- 3 (UR-1, ST-1, OBC-1) Ophthalmology – 1 (ST-1) Obst.& Gynae – 2 (UR-1, OBC-1) Anaesthesia – 1 (OBC-1) Radiodiagnosis- 2 (UR-1, ST-1) Dentistry – 1 (ST-1) Radiotherepy – 1 (ST-1)	Anatomy- 3 (UR-1, ST-1, OBC 1) Physiology – 2 (UR-1, OBC-1) Biochemisty – 1 (ST-1) Pharmacology – 1 (ST-1) Pathology +Blood Bank- 3 (ST-1, SC-1, OBC-1) Microbiology - 3 (UR-2, ST-1) Forensic Medicine – 1 (UR-1) Community Medicine -5 (UR-1, ST-2, OBC-1, SC-1) General Medicine – 5 (UR-1, ST-2, OBC-1, SC-1) T.B. & Chest – 1 (UR-1) Surgery - 1 (OBC-1) Orthopedic – 4 (UR-1, ST-2, OBC-1) Obst. & Gynae-4 (ST-3, SC-1) Radiodiagnosis – 2 (UR-1, ST-1)	Medicine – 7 (UR-3, ST-3, OBC-1, SC-1) T.B. & Chest – 2 (UR-1, ST-1) Skin & V.D. – 1 (ST-1) Psychiatry – 1 (ST-1) Pediatric – 4 (UR-1, ST-2, OBC-1) Surgery – 8 (UR-3(1F), ST-3, OBC- 1, SC-1) Orthopedics – 3 (ST-2, OBC-1) ENT – 1 (ST-1) Obst. & Gynae – 1 (ST-2, OBC-1) Anaesthesia – 9 (UR-4 (1F), ST-3, OBC-2, SC-1) Radiodiagnosis – 3 (UR-2, ST-2, OBC-1)	Medicine – 3 Pediatrics – 3 Surgery – 1 Orthopedics – 4 Obst. & Gynae – 3
Salary Rs. 155,000/- (90,000 + 65,000)	Salary Rs. 135,000/- (80,000+55,000)	Salary Rs. 90,000/- (50,000+40,000)	Salary Rs. 65,000/- (40,000+25,000)	Salary Rs. 50,000/- (30,000+20,000)

आवश्यक दिशा निर्देश :–

1. उपरोक्त पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु एवं नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रचलित मापदण्ड अनुसार एवं छ.ग. शासन नियमानुसार मान्य होगा।
2. उपरोक्त पदों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के लिये लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।
3. पदों के समक्ष दर्शित समेकित संविदा वेतनमान प्रतिमाह है। जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित संविदा वेतन व अतिरिक्त वेतन जो स्वशासी मद से अनुमोदन उपरांत देय होगा, सम्मिलित है। जिस पर शासकीय नियमानुसार TDS तथा अन्य कटौती किये जायेंगें।
4. पदों पर संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये होगा, जो छत्तीसगढ़ शासन, संविदा भर्ती नियम 2012 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि गोपनीय प्रतिवेदन एवं रिक्तता के आधार पर बढ़ायी जा सकेगी।
5. सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक/भूतपूर्व सैनिक चिकित्सक भी नियमानुसार पात्र होंगे।
6. साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज नवीनतम दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति तथा

कार्यालय अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001
FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.ac.in email- deancims@gmail.com

क्र................./स्था/प्रशा/सिम्स/2022 बिलासपुर, दिनांक

7. साक्षात्कार के समय शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थी अपात्र माने जायेंगे।
8. उपरोक्त दर्शाये गये पदों की संख्या आवश्यकतानुसार बढाई या घटाई जा सकती है साथ–साथ नियमित विभागीय पदोन्नति से भरे जाने वाले पदोन्नत पद विलोपित भी किया जा सकता है। रिक्त पदों की संख्या प्रतिदिन पदों की रिक्तता के आधार पर अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी
9. उपरोक्त जानकारी सिम्स के वेबसाईट www.cimsbilaspur.ac.in पर भी उपलब्ध हैं।

अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ0 क्र.   /स्था./प्रशा./सिम्स/2022 बिलासपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष/सदस्य चयन समिति एवं स्क्रुटनी समिति की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि साक्षात्कार तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर स्क्रुटनी एवं चयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को संस्थान की वेबसाइट में अपलोड करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क. एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3, नवा रायपुर, दिनांक 03/05/2023

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :– नियुक्तियों एवं चयन प्रकियाओं में आरक्षण के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का पत्र कमांक एफ 20–5/2022/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.09.2022

संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश दिनांक 19.09.2022 को सभी विभागों को पालन के लिए सूचित किया गया था, उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) कमांक 19668/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रकिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की है।

2/ इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा–4, 5 एवं 6 निम्नानुसार हैः–

4. We, therefore, permit the State to go ahead with the selection process and make appointments and promotions.
5. However, it is made clear that the same shall be subject to the result of the petition.
6. All appointment and promotion orders shall specifically mentions that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceedings.

3/ सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रकियाओं में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाये कि, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.के.सिंह) 03.5.23
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमशः...2